न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :- 84/2016

गुड्डी देवी पत्नी श्री अमीचन्द जाति ब्राहम्ण साकिन जाखड़ांवाली तहसील पीलीबंगाजिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

प्रार्थीया

बनाम

1.परतुराम उर्फ कालूराम पुत्र चौखाराम | जाति जाट साकिन 6 बीएचएम

2. कुम्भाराम पुत्र जगमालराम | तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

3.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा ।

– अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री मदन लाल पारीक –– प्रार्थीया
2. श्री राम स्वरूप तावणिंया –– अप्रार्थी सं. 1 व 2
3. राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा। ––अप्रार्थी संख्या 3

–:: निर्णय :–

दिनांकः– 28-04-25

प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी श्री मदन लाल पारीक की ओर से अप्रार्थीगणके विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है जिसमें प्रार्थीया को कामयाबी की पूर्ण सम्भावना है।यह कि प्रार्थीया के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 6 बीएचएम के प.नं. 100/378 किला न. 13/.228, 16/.135, 17/.226, 18/.253, 19/.253, 21/.228, 221. 075, प.नं. 100/379 किला नं. 1–2/.506, 31.176 हैक. कुल 2.080 हैक. अनकमांड खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी चक 6 बीएचएम सं. 2072 से 2075 सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रशनगत भूमि 2.080 हैक. भूमि प्रार्थीया नें इस भूमि के मूल खातेदार बनवारी, हनुमान, कृष्ण पिसरान सुरजाराम व गुड्डी देवी पुत्री सुरजाराम जाति ब्राहम्ण साकिन जाखड़ांवाली से जरिये बैयनामा दिनांक 30.03.2005 को खरीद करउसी दिन बाद पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया था । चित्रप्रति बैयनामा दिनांक 30.03. 2005 सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थीया अपनी भूमि की खातेदार व काश्तकार है और इस भूमि पर खरीद के समय से ही सन 2005 से बतौर खातेदार शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करती आ रही है। इस भूमि के चिपते ही प.नं. 100/378 के किला नं. 24, 25 में अप्रार्थीगण सं. 1, 2 का मकान है। प्रार्थीया की भूमि प.नं. 100/378 के किला नं. 16, 17 ... दिशा ... है।

यह कि अप्रार्थीगण जो कि अत्यन्त लालची किस्म के व्यक्ति है ... प्रार्थीया के कब्जा काश्त में दखलंदाजी करने पर आमाद रहते है ... प्रार्थीया की खातेदारी भूमि चक 6 बीएचएम के प.नं. 100 / 378 के किला ... 0.226 हैक. भूमि में चारो तरफ चार दिवारी निकाल ली व कल दिनांक 20.12. 2016 को ... इस भूमि पर बाथरूम का निर्माण कर रहे है। प्रार्थीया व प्रार्थीया के पति के रोकने के बावजूद भी इन्होने यह निर्माण बन्द नही किया है। उन्होने प्रार्थीया को यह भी धमकी दी है कि सड़क के पास पास जो आपकी किला नं. 16, 17 में भूमि पर उस पर जबरन कब्जा करेगें । अप्रार्थीगण बिना किसी आधार के अवैद्य रूप से प्रार्थीया की कृषि भूमि पर निर्माण कर गैर कृषि कार्य हेतू प्रयोग कर रहे है। अप्रार्थीगण अनाधिकृत रूप से इस भूमि पर नाजायज काबिज होकर इस भूमि क दुरूपयोग कर रहे है व इसकी उपजाऊ क्षमता नष्ट करना चाहते है। इसलिये प्रार्थीया

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.05.02 17:44:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प.नं. 100/378 किला नं. 17 की 0.226 हैक. भूमि को कुर्क करवाकर तहसीलदार पीलीबंगा को रिसीवर नियुक्त करवाने की अधिकारी है।

यह कि अप्रार्थीगण बिना किसी आधार के अवैद्य रूप से प्रार्थीया की खातेदारी भूमि पर जबरन काबिज होकर बतौर अतिक्रमी काबिज होकर निर्माण कार्य कर रहे है। इन्होने प्रार्थीया को यह धमकी दी है कि आपकी सड़क के पास पास किला नं. 16, 17 में स्थित समस्त भूमि पर कब्जा कर चार दिवारी निकालेगें। यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीया को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में है। इसलिये प्रार्थीया विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है कि वे प्रार्थीया के शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे व अन्य कोई निर्माणकार्य करने से ममनू व बाज रहे।

प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 6 बीएचएम के प.नं. 100/378 के किला नं. 17 की 0.226 हैक. भूमि प्रार्थीया के हितो की सुरक्षा हेतू उक्त भूमि कुर्क कर तहसीलदार पीलीबंगा को ताफैसला वाद रिसीवर नियुक्त किया जावे तथा अस्थाई निषेधाज्ञा तौफसला वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण इस अमर की जारी की जावे कि अप्रार्थीगण चक 6 बीएचएम के प.नं. 100 / 378 किला नं. 16/. 135, 171.226 हैक. में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे एवं प्रार्थीया को खातेदारी भूमि में से किसी प्रकार की दखलंदाजी करने से ममनू व बाज रहे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद सरिस्ता रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षिय बहस सुनी गई प्रस्तुत दस्तावेजों शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थीया के नाम दर्ज चक 6 बीएचएम के प.न. 100/378 के किला न. 16/.135, 17/.226, है. भूमि के मौका एवं रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें के संबंध में अस्थाई निशेधाज्ञा जारी की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री रामस्वरूप तावणिंया अधिवक्ता हाजिर आये। जवाब अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य इस प्रकार है कि –

यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 आंशिक रूप से स्वीकार है दावा में कामयाबी की कोई संभावना नहीं है।यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में भूमि होना स्वीकार है व शेष अस्वीकार हैक्योंकि प्रार्थीया द्वारा एक मु. 176/2013 अनवान गुड्डी आदि बनाम् बिरमा देवी आदि में एक बंटवारे वाद प्रस्तुत कर दिनांक 09.05.2016 एकतरफा डिक्री पारित करवा कर अप्रार्थीगण के कब्जा प.नं. 100 / 378 (13) के किला नं. 16 में 0.135 व 17 में 0.226 अपने नाम बंटवारे में दर्ज करवा ली जबकि अप्रार्थीगण उक्त भूमि में अप्रैल 2013 ही में मकान बना हुआ है मिन अप्रार्थीगण द्वारा बनवारी, हनुमान, कृष्ण लाल पिसरान सुरजा राम, गुड्डी देवी पुत्री सुरजाराम से जरिये बैयनामा खरीदकर मौके पर कब्जा अप्रार्थीगण को सम्भलवा दिया था तब आज तक मौका काबिज है।यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 3 लाईल्मी होने से अस्वीकार है।यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 आंशिक रूप से स्वीकार है। अप्रार्थीगण का द्य मकान 24, 25 व किला नं. 16, 17 में स्थित है जो कि जरिए ईकरारनामा किला नं. 24 हनुमान पुत्र सुरजा राम से 01.01.1999 से खरीदशुदा है और मौके पर मिन अप्रार्थीगण काबिज चले आ रहे हैं। प्रार्थीया के किला नं. 16 व 17 पर कब्जा नहीं है। किला नं. 16 व 17 भी मिन अप्रार्थीगण द्वारा खरीदशुदा हैं। 5. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 5 पूर्णतया अस्वीकार है। अप्रार्थीगण बतौर बैयनामा प्रश्नगत भूमि पर सदभावी रूप से काबिज हैं अप्रार्थीगण [illegible] बैयनामा नामान्तरण बाबत दिये जाने पर ई.नं. 121 दिनांक 20.06.2013 को [illegible] के नाम इन्तकाल दर्ज कर जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी अप्रार्थीगण [illegible] 2013 से प्रश्नगत भूमि पर दिवार व मकान बने हुएहैं।वह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 6 पूर्णतया अस्वीकार है क्यों कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि को जरिये बैयनामा प्रश्नगत भूमि के मालिक हैं और सदभावी रूप से काबिज हैं प्रार्थीया का कब्जा नहीं होने किसी प्रकार से [illegible]स्वत व्यादेश पाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया काबिले खारिज है।

अतिरिक्त कथन

यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 7 प्रार्थीया ने स्वंय स्वीकार किया है कि.नं. 17 में मिन प्रतिवादी द्वारा निर्मित दिवार हटा लेवें वाद वादी कब्जे के अभाव में काबिले खारिज है वादिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.05.02 17:44:24 IST
Reason: SelfAttested

मिन अप्रार्थीगण से कभी भी नहीं मिली वादी कारण के अभाव वाद प्रार्थीया काबिले खारीज है। किला नं. 16 व 17 पर प्रतिवादी द्वारा तामीर की हुई है जो बैयनामा के समय से ही है।यह दावा श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में नहीं होने के कारणआदेश 7 नियम 11 सी. पी.सी के तहत काबिले खारीज है । 188 आर.टी.ए. तहत सुनवाई का अधिकार उपखण्ड अधिकारी में निहीत होते हैं वाद सहायक कलैक्टर की क्षेत्राधिकार में पेश किया गया है। इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र काबिले खारीज है।अतः जवाब मिन अप्रार्थीगण के द्वारा पेश कर निवेदन है किप्रार्थना पत्र प्रार्थीया मय खर्चा खारीज फरमाया जावे। श्रीमान् जी की कृ पाहोगी।

प्रकरण में स्टेट जवाब प्राप्त है शामिल पत्रावली है मुताबिक स्टेट जवाब रास्ता खाला की सुविधा पैत्रक भूमि के अलावा अन्य भूमि हो तो नियमानुसार राज्य हित को ध्यान में रखते हुए वाद पत्र का निस्तारण किया जाता है तो स्टेट को कोई आपत्ति नहीं है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अवैध निर्माण पर रिसीवर नियुक्त किया जावे। धारा 39(2) के तहत स्थगन के बावजूद किला नत्र 16 व 17 पर लकडी डालकर कब्जा कर लिया है। दावा दायरी सेपूर्व में ही कब्जा था भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जावे। अप्रार्थीगण दौराने दावा शेश भूमि पर कब्जा कर रहें है इस लिए 39(2) धारा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रथम दृश्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है रिकार्डड खातेदार है। जमीन को कुर्क किया जाकर रिसीवर नियुक्त करने का निवेदन किया गया। अधिवक्त अप्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि वर्णित भूमि पर मा. राजस्व अपील अधिकारी का स्थगन है एवं वाद पत्र में धारा 183 के निस्तारण तक हस्तगत प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया जा सकता है। गुडडी देवी द्वारा रकबा टूकडों में बैचान किया गया है प्रार्थना पत्र पेडिंग रखा जाने का निवेदन किया गया। बहस पर मनन किया गया किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि को जरिये बैयनामा प्रश्नगत रकबा खरीद शुदा है और सदभावी रूप से काबिज हैं प्रश्नगत रकबा में प्रार्थीया का कब्जा नहीं होने से प्रार्थीया शाश्वत व्यादेश पाने के अधिकारी नहीं है।अस्थाई निशेधाज्ञा जारी हुए 9 वर्श से अधिक का समय हो गया है। रिसीवर एवं कुर्कि किया जाना उचित न्यायसंगत नहीं होगा चुंकि प्रश्नगत रकबा में अप्रार्थीगण द्वारा निर्माण किया गया है एवं काबिज काश्त है। उभय पक्ष अपने बैयनामा के संबध में संबंधित न्यायलय में वाद दायर करने के लिए स्वतंत्र है। प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। दिनांक 21.12.2016 को जारी अस्थाई निशेधाज्ञा भी खारिज की जाती है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलैक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.05.02 17:44:24 IST
Reason: SelfAttested